<u>पत्र सूचना शाखा</u>

<u>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0</u>

राज्यपाल ने संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापकों की प्रोन्नति के संबंध में कार्य परिषद की बैठक बुलाने के निर्देश दिये

लखनऊः 15 जनवरी, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति, श्री राम नाईक ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के दस अध्यापकों की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति के संबंध में चयन समिति की संस्तुतियों को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31(8)(कक) के अन्तर्गत आदेश प्राप्त करने के तीस दिवस के अन्दर कार्य परिषद की बैठक बुलाकर उसके विचारार्थ व विनिश्चयार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान लोक सभा की सामान्य निर्वाचन से संबंधित आदर्श निर्वाचन संहिता लागू हो जाने तथा तत्कालीन कुलपति, जिनका कार्यकाल तीन माह से कम रह गया था, को नियुक्ति आदि सहित नीतिगत निर्णय लेने से विरत कर दिया गया, के कारण कार्य परिषद द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों की तिथि से चार माह के अन्दर निर्णय नहीं लिया जा सका था। इसलिये चयन समिति की संस्तृतियों को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31(8)(क) के अन्तर्गत कुलाधिपति द्वारा निर्णय लिये जाने हेतु संदर्भित किया गया था।